THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) From the Narora Atomic Power Station onwards, all the nuclear power plants have a separate control room dedicated to emergency instrumentation, which permit monitoring and operation of essential equipment even if the main control room becomes inaccessible in an emergency. Such dedicated supplementary control rooms are also being retrofitted in the nuclear power stations built earlier to the narora Station in a phased manner.

(b) Does not arise.

Oil Pool Account

1888. SHRI K.R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) when the Oil Pool Account was set up and for what purpose;

(b) the manner in which money accrues into this Account;

(c) the maximum amount collected under this Account and in which year; and

(d) the manner in which this amount has been spent since then and under what heads?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T. R. BAALU): (a) to (d) Information is being collected and shall be laid on the table of the House.

गुजरात के शहरों में शहरी आधारभूत ढांचे के लिए केन्द्रीय अनुदान

1889. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू योजना के दौरान राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, गांधीधाम और जामनगर में शहरी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए केन्द्रीय निधियों में से अनुदान देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शहर के लिए विकास कार्यक्रमों पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(ग) उपरोक्त शहरों के लिए प्रारंभ किए गए कार्य कार्यक्रमों का ब्यौर क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटस्वरलू): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए मानदण्ड

1898. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई संशोधित मानदण्ड तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो गरीबी-रेखा का निर्धारण करने के लिए कितनी आय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ग) गरीबी-रेखा से नीचे रह रहे लोगों की राज्य-वार नवीनतम संख्या क्या है और वर्ष 1979-80 और 1989-90 की तुलना में इन आंकड़ों की स्थिति क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) भारत में गरीबी-रेखा न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोक्ता मांग के अनुमानों पर कृतिक बल की सिफारिशों पर आधारित है, जिसने 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, गरीबी-रेखा को प्रति व्यक्ति मासिक व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, जो 1973-74 के बारे में औसत उपभोक्ता बास्कट के लिए अपेक्षित है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 2100 कैलोरी की आवश्यकताओं को मुहैय्या करायेगा इस मानदण्ड को परिवर्तित नहीं किया गया है. यद्यपि इस प्रकार प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोक्ता व्यय के अनुसार 1973-74 के लिए निर्धारित गरीबी रेखा को गरीबी के आकलन के समय बाद के वर्षों के सम्बन्ध में अद्यतन किया जा रहा है.

(ख) गरीबी-रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोक्ता व्यय के अनुसार दी जाती है. 1987-88, नवीनतम वर्ष,